



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

व्यवस्थापन "ग" वर्ग

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwwd@nic.in

पत्रांक:- 512 / 32 व्यग(व0सहा0)-अधि0-उ0 / 18


दिनांक-09 / 06 / 2018।

**::कार्यालय-ज्ञापः**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण 2017 (सं0-01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में निम्न वरिष्ठ सहायक को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-


क्रम सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1-	श्री प्रभू सिंह रावत, वरिष्ठ सहायक	नि0ख0, लो0नि0वि, नरेन्द्रनगर	प्रा0ख0 टिहरी	नियम 17 (1) क

1. सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. सम्बन्धित अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

  
(सत्येन्द्र शर्मा)  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, लो0नि0वि0 देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0 टिहरी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 8वां वृत्त, लो0नि0वि0, टिहरी।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, टिहरी/नरेन्द्रनगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी/नरेन्द्रनगर।
6. आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून को विभागीय वेब-साईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री प्रभू सिंह रावत, वरिष्ठ सहायक, नि0ख0, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर।
8. गार्ड पत्रावली।

  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

व्यवस्थापन "ग" वर्ग

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwwd@nic.in

पत्रांक:- 513/32 व्यग(व0सहा0)-अधि0-उ0/18


दिनांक-09/06/2018।

**::कार्यालय-ज्ञापः:**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण 2017 (सं0-01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में निम्न वरिष्ठ सहायक को कार्यरहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-


क्रम सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1-	श्री नफीस अहमद वरिष्ठ सहायक	निर्माण खण्ड लक्सर	रा0मा0ख0 रानीखेत	नियम 17 (1) क

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- सम्बन्धित अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

  
(सत्येन्द्र शर्मा)  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, लो0नि0वि0 देहरादून के संज्ञानार्थ।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय/रा0मा0, लो0नि0वि0 देहरादून/हल्द्वानी।
- अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, हरिद्वार/हल्द्वानी।
- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण/रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0, लक्सर/रानीखेत।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लक्सर/रानीखेत।
- आई0टी0 हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून को विभागीय वेब-साईट में अपलोड किये जाने हेतु।
- श्री नफीस अहमद, वरिष्ठ सहायक, नि0ख0, लो0नि0वि0, लक्सर।
- गार्ड पत्रावली।

  
9.6.18  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
6/6/18





Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन "ग" वर्ग

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक:-514/32 व्यग(व0सहा0)-अधि0-उ0/18


दिनांक-09/06/2018।

**::कार्यालय-ज्ञापः**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण 2017 (सं0-01 वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में निम्न वरिष्ठ सहायक को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-


क्रम सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1-	श्री कैलाश पाल वरिष्ठ सहायक	प्रा०ख० लो०नि०वि०, रुद्रपुर	नि०ख० रानीखेत	नियम 17 (1) क

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- सम्बन्धित अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

  
(सत्येन्द्र शर्मा)  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, लो०नि०वि० देहरादून के संज्ञानार्थ।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि० अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/04वां वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा/रुद्रपुर।
- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रपुर/रानीखेत।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रुद्रपुर/रानीखेत।
- आई०टी० हेड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून को विभागीय वेब-साईट में अपलोड किये जाने हेतु।
- श्री कैलाश पाल, वरिष्ठ सहायक, प्रा०ख०, लो०नि०वि०, रुद्रपुर।
- गार्ड पत्रावली।

  
9.6.18  
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
21/6/18

